न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– बाबूलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 08 / 2019 (RCMS No. 2019/00009)

प्रार्थी

1. गुमानाराम पुत्र धनाराम जाति जाट उम्र 58 वर्ष निवासी ग्राम जसराना तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

अप्रार्थीगण

1. अणदाराम पुत्र पेमाराम
2. किस्तुरी देवी पत्नि धनाराम
3. धर्माराम पुत्र बनाराम नाबालिक संरक्षक पूर्णीदेवी पत्नि बनाराम
4. पूर्णीदेवी पत्नि बनाराम
5. भींवाराम पुत्र धनाराम
6. मीरादेवी पत्नि नारायणराम
7. पटवारी, पटवार मण्डल रूपपुरा टोरडा तहसील कुचामनसिटी
8. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि भूमिधारी तहसीलदार कुचामनसिटी
9. भंवरलाल पुत्र भागीरथ जाति जांगिड़ निवासी जसराना।

प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अ.धा.212 राज.काश्त. अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।

श्री अशोकपुरी अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 9 की ओर से।

आदेश

दिनॉक :– 25-09.2019

प्रस्तुत प्रकरण का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि उपर्युक्त उनवान प्रकरण का एक ववाद इस न्यायालय में बहुत ही मजबूत बिनाय पर पेश किया हुआ है जिसमें उसे सफलता मिलने की पूरी–पुरी उम्मीद है, ग्राम जसराना तहसील कुचामनसिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 503 रकबा 1.65 हैक्टर, खसरा नम्बर 504 रकबा 1.26 हैक्टर, खसरा नम्बर 517 रकबा 0.67 हैक्टर, खसरा नम्बर 696 / 561 रकबा 0.35 हैक्टर कुल रकबा 3.93 हैक्टर भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 से 6 की सहखातेदारी की भूमि दर्ज चली आ रही है, उपरोक्त भूमि के गत खसरा नम्बर की भूमि एक ही नम्बर में अवस्थित थी जिसका नवीन खसरा नम्बर 504 व 517 के दो भाग बना दिये गये जबकि पूर्व में एक ही खसरा था, लेकिन भू–प्रबन्धक [illegible] के दौरान खसरा नम्बर 504 व 517 के मध्य रास्ता कायम कर दिया [illegible] कि उक्त भूमि के मध्य में से कभी रहा ही नही न ही आज [illegible] रास्ता कायम है लेकिन राजस्व रेकर्ड में कायम कर दिया गया जो कि Null & Void है। [illegible]क्त भूमि के गत खसरा नम्बर की भूमि में कभी रास[illegible] नही रहा है उक्त [illegible] रास्ता मौके पर आज से भू–प्रबन्धक कार्यवाही होने से पूर्व भी खसरा नम्बर 517 के पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे खसरा नम्बर 518 सींव के पास पास चला आ रहा

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 18:10:56 IST
Reason: SelfAttested

......2....

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

है जो कि वर्तमान में भी वहीं पर विद्यमान है जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा महानरेगा के तहत ग्रेवल सड़क बनाई गयी है जहॉ पर मौके पर रास्ता विद्यमान है, उपरोक्त भूमि में मध्य में रास्ता दर्शाया गया है वह कभी चालू नही रहा है वह रास्ता मौके पर सीमा के पास–पास ही विद्यमान रहा है वही पर आज दिनॉक चल रहा है जबकि उक्त रास्ते को राजस्व रेकार्ड में बीचों–बीच किया गया है जो शुरू से ही Null & Void है। उपरोक्त खसरान में वर्तमान में नजरी नक्शानुसार मौके पर रास्ता कायम कर रखा है इस प्रकार A to B के स्थान पर स्थित रास्ते को संशोधन कर C to D स्थान पर कायम किया जावे, अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दू प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति प्रार्थी के पक्ष मं बखूबी साबित है, यदि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो उन्हे किसी प्रकार क्षति नही होगी। प्रार्थी की इस्तदुआ है कि ग्राम जसराना तहसील कुचामनसिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 504 व 517 के मध्य की सींव–नींव को नष्ट नही करे न ही रास्ता कायम किया जावे, प्रार्थी के हक–हस्से में अप्रार्थीगण किसी प्रकार का दखल इत्यादि नही डालें व मौके की यथास्थिति बनाये रखे इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश प्रार्थी के हक में प्रदान करावे।

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 ता 7 के नोटिस तामिल होने के बावजूद अनुपस्थित रहे जिससे उनके विरूद्ध एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई, अप्रार्थी संख्या 8 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया, अप्रार्थी संख्या 9 द्वारा पक्षकार बनाये जाने का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर विधिवत सुनवाई की जाकर अप्रार्थी संख्या 9 संयोजित किया गया, अप्रार्थी सं. 9 भंवरलाल द्वारा जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया।

अप्रार्थी सं. 8 द्वारा जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि राजस्व अभिलेख सम्वत 2075–2078 के अनुसार खसरा नम्बर 503 व 504 वादी गुमानाराम के साथ–साथ अन्य सहखातेदारो की संयुक्त खातदेरी भूमि दर्ज है खसरा नम्बर 517 696/561 भी वादी व अन्य सहखातेदारों की संयुक्त खातेदारी दर्ज है, वर्तमान खसरा नम्बर 504 के गत खसरा नम्बर 235 थे एवं वर्तमान खसरा नम्बर 517 के गत खसरा नम्बर 270 थे, इन दोनो के मध्य वर्तमान खसरा नम्बर 516 गै.मु.रास्ता राजकीय भूमि है जिसके गत खसरा नम्बर 247 थे, गत खसरा नम्बर 247 गत भू–प्रबन्ध सम्वत 2007 से 2028 की मिसल बन्दोबस्त में गै.मु.रास्ता राज[illegible] तक गै.मु.रास्ता राजकीय दर्ज चली आ रही है, मौके पर रास्ता च[illegible] है, वर्तमान में प्रार्थी गुमानाराम ने उक्त रास्ता खसरा नम्बर [illegible] अतिक्रमण कर बन्द कर दिया जिस पर अतिक्रमी [illegible] के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत [illegible]करण सं. 130/18 दर्ज कर बाद सुनवाई दिनॉक 15.02.2019 को आदेश पारित कर बेदखली व अर्थदण्ड से आरोपित किया गया है, मौके पर प्रार्थी ने राजकीय भूमि गै.मु.रास्ता जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है पर अतिक्रमण कर रखा है, प्रथम दृष्टया मामला

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 18:10:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में किसी भी रूप से साबित नही होती है, अतः अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावे जिससे सार्वजनिक उपयोग के रास्ते की राजकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाया जा सके।

अप्रार्थी सं. 9 भंवरलाल ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि खसरा नम्बर 503 व 504 वादी गुमानाराम के साथ–साथ अन्य सहखातेदारो की संयुक्त खातदेारी भूमि दर्ज है खसरा नम्बर 517 व 696 / 561 की भूमि प्रार्थी गुमानाराम व अन्य खातेदारान की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है, अप्रार्थी ग्राम जसराना के खसरा नम्बर 518 व 689 / 505 का खातेदार है प्रार्थी द्वारा उपरोक्त खसरो में आने जाने के लिए खसरा नम्बर 516 गै.मु.रास्ता का उपयोग किया जाता है, शेष जवाब अप्रार्थी सं. 8 द्वारा प्रस्तुत को दोहराया गया है, अन्य आपत्यिो में कथन किय है कि प्रार्थी गुमानाराम द्वारा गलत तथ्यो के आधार पर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है जो काबिल खारिज है।

प्रार्थी द्वारा चालू जमाबन्दी नकल, नक्शा ट्रेस की प्रति प्रस्तुत की है, अप्रार्थी द्वारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही की प्रति, शिकायत प्रार्थना–पत्र की छाया प्रति,पटवारी हल्का एवं थानाधिकारी को जारी तहरीर की छाया प्रति,नक्शा ट्रेस की छाया प्रति, जमाबन्दी नकल की छाया प्रति प्रस्तुत की है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई, बहस दौरान अधिवक्ताओ द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र, प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराया गया है। खसरा नम्बर 516 रकबा 0.38 हैक्टर गै.मु.रास्ता की भूमि पर प्रार्थी गुमानाराम द्वारा अतिक्रमण किये जाने के कथन जवाब में अंकित किये है जबकि गुमानाराम का कथन है कि नजरी नक्शा अनुसार खसरा नम्बर 517 में A to B के स्थान पर स्थित रास्ते को संशोधन कर C to D स्थान पर कायम किया जावे, क्योंकि उक्त रास्त खसरा नम्बर 517 की भूमि में पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे है उक्त भूमि खसरा नम्बर 504 517 प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 की खातेदारी में संयुक्त रूप से दर्ज चली आ रही है, वर्तमान सेटलमेंट अधिकारियो द्वारा उक्त रास्ता खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 504 एवं 517 के मध्य से निकाला गया, उक्त रास्ता कभी भी उक्त खसरान में मध्य नही रहा है तथा वर्तमान में भी खसरा नम्बर 517 की पूर्वी सीमा के सहारे सहारे चल रहा है जिसे दुरूस्त किया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। खसरा नम्बर 516 की भूमि में 0.08 हैक्टर भूमि पर अतिक्रमण किये जाने की पुष्टि तहसीलदार कु[illegible]1 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम प्रकरण में पारित आदेश से [illegible] परन्तु खसरा नम्बर 516 के मध्य अंकित रास्ते की भूमि [illegible] हो रखा है यह स्पष्ट नही हो पा रहा है, प्रार्थी के [illegible] रास्तो खसरान नम्बर 517 के पूर्वी सीमा पर मौके पर चालू है तथा मौके [illegible] ग्रेवल्ड सड़क का निर्माण भी हो रखा है, उक्त रास्ते को संशोधन किये जाने हेतु ही प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है जिसमें कार्यवाही जैरकार है, उपलब्ध रेकार्ड इत्यादि से

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 18:10:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

स्पष्ट है कि प्रकरण में वादग्रस्त रास्ते को बन्द किये जाने की पुष्टि किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य से नही होती है तथा गत सेटलमेंट से पूर्व यदि मौके पर गत खसरा नम्बर 247 में रास्ता कायम रहा है तो नक्शा ट्रेस की प्रति भी पक्षकार अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नही की गई है जिससे साबित हो कि खसरा नम्बर 247 का रास्ता उक्त प्रार्थी खातेदार की भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 504 517 के मध्य से रहा हो, साथ ही ऐसी किसी भी मौके की रिपोर्ट भी तहसलीदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत नही की गई है जिससे प्रमाणित हो सके कि उक्त रास्ता दोनो खसरो के मध्य रहा है। प्रकरण के सम्पूर्ण विवेचन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि मे रास्ते सम्बन्धी बिन्दू मूल प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम में तय होने है। अतः प्रकरण में मौके पर किसी प्रकार की पक्षकारान के मध्य विवाद नही हो तब तक मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला प्रार्थना–पत्र/वाद तक न्यायहित में पाबंद फरमाा जाना न्यायिक दृष्टि से उचित है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला वाद/प्रार्थना–पत्र (136R.L.R.Act) पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम जसराना तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 504 व 517 के मध्य की सींव–नींव को नष्ट नही करे न ही रास्ता कायम किया जावे प्रार्थी के हक हिस्से में अप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखलअंदाजी नही डाले तथा मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनायें रखे ।

आदेश आज दिनॉक 25-09-2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबूलाल जाट RAS,)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 18:10:56 IST
Reason: SelfAttested